

[Shri B. K Nair]

reached exhorbitant levels, the yield has been steadily going down, damage and crop-failures widespread and frequent and currently the price has been going down to such low levels that the farmers in large numbers are constrained to abandon cultivation and leave their holdings fallow. According to an official estimate made some time ago, the loss incurred was Rs 500 per acre. In actual fact, in most cases it may be anything upto six or seven hundred rupees

Kuttanaj comprises of about 60,000 hectares of paddy land. The cultivators number about a lakh and the workers dependant on agricultural operation number about four lakhs. The entire area, the entire population is facing desolation

I take this opportunity to make a fervent appeal to the Government of India to make available whatever assistance and relief they can to save the situation. A Committee of experts may be appointed immediately to study the whole problem and suggest remedial measures. The scope and dimension of the measures needed are entirely beyond the capacity of the State Government to provide

(iv) REPORTED ATROCITIES ON HARJANS IN KARNATAKA, ANDHRA PRADESH AND MAHARASHTRA ..

श्री शरद यादव (त्रवलपुर) अध्यक्ष
मद्रास, नियम 377 के अन्तर्गत में एक महत्वपूर्ण विषय को आर मरका का ध्यान खीचना चाहता ह। मदन में कई बार हरिजनो पर अत्याचारो के मामले में बहम हुई लेकिन मुझे देख के माथ कहता पडता है कि मैंने कई बार कर्नाट, आन्ध्र और मद्रास में हरिजना पर हो रहे अत्याचारो के सम्बन्ध में मामला उठाता चाहता लेकिन उठा नहीं सका। जब अन्य राज्यों में हरिजनों को जनाया जाता है तो उनको तो मेरे कायेसी मित्र हरिजन मानते है लेकिन जब उनके हो राज्या में उनका जिदा जलाया जाता है

तो उनको बे जानवर मानते हैं। मैं यह जानता हू कि इस देश में, किसी भी भाग में, एक भी हरिजन की हत्या इस देश के लिए कलक है। मेरे कायेसी मित्र बिहार या अन्य राज्यों क बात ना यहा उठाते है लेकिन कर्नाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र में हरिजनों के सम्बन्ध में यहा सवाल नहीं उठाते। इसीलिए मैं आज़ कर्नाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र में हरिजनों पर हो रहे अत्याचारो के विषय में मदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हू।

कर्नाटक में देवनहारी देहात जो बगलौर के नजदीक है, उसमें एक हरिजन का कत्ल कर दिया गया। आन्ध्र में गूटूर जिले में एक देहात के हरिजनों पर हमला हुआ, मकान जलाये गये और उसमें एक हरिजन महिला का जिदा जला दिया गया। 9 मार्च 1978 का बम्बई के भा. शहरी विभाग में माया विमान पर हमला हुआ जिस में उनकी मृत्यु हुई। दूसरे हरिजन यवत और जावा का छत्र में भाग कर घायल कर दिया गया। पुणे जिले में शानवड तहसील में कर्नाट देहात में श्री. जगन्नाथ भीमले नामक हरिजन युवक पर हमला हुआ और उन्हें घुरी तरह से पाट गया। बृहाना जिले में हरिजना का जातकारी अधिकार मिन है वह अम में लान में उन्हे गवा गया है और इसके कारण उनका मिन टूट खेत में वे कम नहीं कर पा रहे है।

इन मारे सबानो का ले कर महाराष्ट्र में जा हरिजनों पर कायेस रेजीम में, कर्नाटक में, आंध्र में जल्म हो रहे है और जा अग्याय हो रहा है उसका ले कर हरिजन नेता श्री विठ्ठलराव चानखेडे ने आराम दाह की घोषणा क. आ गठ आ म दाह वह अगले महीने की नी तरीख का करने वाले है। कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में आज श्रीमती इंदिरा गांधी तीस वरस से दबी और पिछडी और कगाल जनता पर लगातार जो अबदेस्त हमले होते रहे है उनको कराती

रही हैं। इस चीज को मैं बहुत ही गलत और अन्वयापूर्ण मानता हूँ। इस सरकार के चलते एक भी हरिजन पर अग्रज जुल्म होता है तो मैं इसको इस सरकार के भांसे पर कलक मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व तानाशाह राज हिन्दुस्तान की कगाल और गरीब जनता को जिस तरह धोखा दे रही हैं उसको लेकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजनों के मामले में वह गिद्ध की दृष्टि रखती हैं उनके भास को नाच जाना चाहती हैं और उनके राज्य में जो चीज चली और जा झूठ उन्होंने बोला और बोल रही है मैं कहना चाहता हूँ कि उन से बड़ा झूठा इस सेचरी का भ्राज दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा। वह झूठ बाल कर हिन्दुस्तान के लोगों को गुमराह कर रही हैं— (अध्वधान) बनारस में जो व्यवहार श्री जगजीवनराम जो के साथ जा कि पिछड़ी जातियों के एक जाने माने नेता हैं जिन्होंने उन के लिए सब से ज्यादा काम किया है, जा हिन्दुस्तान के कगालों के एक मात्र नेता हैं, उनके साथ जा हुआ बड़ श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया। कर्नाटक में जा हा रहा है वह उनके दलान कर रहे हैं। जहा पर इन लोगों का राज्य है वहा पर अग्रज जुल्म होते हैं ता इनके मुह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, वहा पर जुल्म होते हैं और हरिजन जलाए जाने हैं, मारे जाते हैं ता एक शब्द भी नहीं निकलता है। मैं सरकार में कहता हूँ कि कहीं भी हरिजन अलया जाता है ता दावी व्यक्तियों का अन्वमान निकाबान में जेन में भेज कर दस साल की सजा दी जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का भी ममाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ जिस मुख्य मंत्री के रहते पाच एट्रोसिटीज हरिजनों पर होती है तो उसका काला मुह कर उससे इस्तीफा लिया जाए, फिर चाहे वह कांग्रेस का मुख्य मंत्री हो या किसी और पार्टी का हा, हमारी पार्टी का हो।

ये जो घटनाएँ हो रही हैं इन पर व्यापक बहस करने का मौका दिया जाना चाहिये। बानखेडे साहब नौ तारीख को आत्मदाह करेगे और यह कलक दल को आ करके सारे देश पर लगेगा। जो दगे हो रहे हैं, जो जातीय सघर्ष हो रहे हैं, हिन्दू मुस्लिम दगे हो रहे हैं, हरिजनों के ऊपर जो गिद्ध धूम रहा है, तानाशाह का पुतला मडरा रहा है और देश में फिर से तानाशाही जो लाना चाहता है उसको ले कर मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो तानाशाही में विश्वास नहीं करते हैं, जो जनतंत्र धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, इच्छते हो कर तानाशाही के पुतले का मुकाबला करे। उनको मैं इस सताब्दी का सब से बड़ा झूठा मानता हूँ। वह सारे देश में जगह जगह झूठ बोल कर गिद्ध की तरह घूम रही है। फिर से वह देश में गुलामी लाना चाहती है। 62 करोड़ लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं। जिस पजे ने, जिन कुटिल हाथों ने लोगों की आजादी का हडपा था वह फिर हिन्दुस्तान की गरीब, भूखी जनता को गुमराह कर रही हैं। भागे आ रही हैं और झूठ बोल रही हैं, उसको रोका जाए और सारे देश को इस पुतले से बचाया जाए। मैं समस्त जनता का, नौजवानों को श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही पुतले से सावधान करता हूँ और अपील करता हूँ कि वे इसका मुकाबला करे। बड़ मंत्री और राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। व इस बात का जवाब दे। तीन प्रातों में जहा कांग्रेस का राज्य हुआ है वहा पर कितनी ही बार इस तरह की घटनाएँ हुई हैं और कितनी ही बार मैंने कार्लिंग एटेशन नोटिस दिए हैं लेकिन आप हमारे साथ पक्षपात करते हैं, उनको तो आप ज़रूर मौका देते हैं लेकिन हम को नहीं देते हैं। हमें आज आपने 377 में अपनी बात कहने का मौका दिया है। तीन चार प्रातों

[श्री शरद यादव]

का यह मामला है। 377 में वीका दे कर आपने हमें चुप करा दिया है।

श्रीमती मृगाल गोरे : (बम्बई उत्तर) : इसके बारे में जी**

MR. SPEAKER: Do not record.

MR. SPEAKER: No, No. Nothing doing. Do not record Rules do not permit me

SHRIMATI MRINAL GORE: **

SHRI UGRASEN (DEORIA): **

MR. SPEAKER I understand yesterday one of the Chairman on the Panel of Chairman allowed somebody to make a statement which is totally against the rules. You have given the Calling Attention notice today which can be considered for Monday. I cannot change the rules. If somebody has allowed it, it is totally illegal. Once I allow, it will become a precedent. So, do not record.

SHRIMATI MRINAL GORE.**

MR. SPEAKER: There are many champions for ladies but the rules do not champion them. So, I will not allow. Do not record anything. I do not want to set a bad precedent.

SHRIMATI MRINAL GORE: **

MR. SPEAKER: I told you already it would be a bad precedent. I will not allow it. I will never set a bad precedent.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag): Sir, I would like to know whether my 377 has been accepted.

MR. SPEAKER: No, no. Not today. Now Mr. Sivaji Patnaik,

(v) REPORTED TERMINATION OF AGREEMENT FOR SUPPLY OF WORKERS BY CENTRAL EMPLOYMENT EXCHANGE (LABOUR) GORAKHPUR TO HINDUSTAN STEEL LTD.

SHRI SIVAJI PATNAIK (Bhubaneswar): Sir, I beg to submit the following under Rule 377. Consequent to the termination of agreement for supply of workers by the Central Employment Exchange (labour) Gorakhpur to Hindustan Steel Ltd. (Kalta Iron (Mines) 550 workers are likely to be terminated after 17th April, 1978. The action of the HSL management is arising out of the successful struggle of the workers to win a higher rates of wages and improvement in living conditions. When the management of Rourkela Steel Plant is purchasing iron ore of 20,000 tonnes and manganese of 7000 tonnes from outside, the retrenchment notice to these workers is clearly meant to recruit new cheap labour by throwing on Street these 550 workers who worked for 5-6 years in this mine.

The decision of the Hindustan Steel management amounts to an unfair labour practice and the Government should take immediate steps to prevent the management from indulging in such malpractices. The workers who were opposing the retrenchment orders were lathi charged on 26th March while 55 workers including women with children were arrested. Further, the petitioner, Shri Rabinarayan Naik, that is, the first signatory to the petition to Lok Sabha which was presented just in few minutes back today, has been arrested in this connection. I would request the Government to intervene in the matter so that job security of these unfortunate workers is assured.